बिन्दु क्र. – 2

खण्ड स्तरीय वन समिति, अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मझगांय बहुउद्देशीय परियोजनान्तर्गत अर्जित की जाने वाली ग्राम मझगांय के अनारी कोदर/राधा एवं गुन्नू कोदर/पानबाई, कृष्णा कोंदर/मत्थी बाई, हीरा लाल/सुरेश बाई, कृपाल कोंदर/बिटटी बाई, भजनलाल कोंदर/नन्ही बाई, नंदी लाल/झिग्गी, कमल कोदर/सरस्वती,पतिया बाई कोंदर/सुखदीन कोंदर, प्रेमबाई कोंदर/रतीराम, जिन्हे जिला स्तरीय वन समिति से वन भूमि के अधिकार पत्र जारी किए गऐ है। उनकी भूमि मझगांयं मध्यम सिचाई परियोजना अर्न्तगत आने से ग्राम पंचायत मझगांय की वन समिति द्वारा आज दिनांक 15.08.2015 तक वनाधिकार पत्रधारियों एवं अन्य किसी ग्रामीण द्वारा दावा आपत्ति नही प्रस्तुत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। एवं इस समिति के पास भी कोई दावा आपत्ति लंबित नही है। तदुनसार उपखण्ड स्तरीय समिति ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त करती है।

अनुविभागीय अधिकारी
सिंहपुर बैराज उप संभाग क्र.02
अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

उप वन मण्डलाधिकारी
अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

... कार्यवाही के प्रपत्र ...

तहसील ... अजयगढ़ ... ग्राम वनाधिकार पंचायत समिति मझगॉय ... जिला ... पन्ना ... बैठक दिनांक ..15..8..15

क्रमांक	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	विषय एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही — कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव/संकल्प जो पास हुये	उप सदर हस्त
1	2	3	4	5	
1	श्रीमती सुनीता सिंह - अध्यक्ष	प्रस्ताव क्र (1) ग्राम पंचायत मझगॉय में वनाधिकार पट्टे के सम्बंध में।	प्रस्ताव क्र (1) आज दिनांक 15-8-15 को श्री बसेतलाल गुप्ता ग्राम वनाधिकार के सदस्य द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम पंचायत मझगॉय अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रथम पट्टे धारियों द्वारा एवं अन्य किसी के द्वारा आज दिनांक तक कोई भी दावा आपत्ती पेश नहीं की गयी है यदि दावा आपत्ती पेश किया जाता है तो विभाग द्वारा उनके हितों को ध्यान में रखकर नियमानुसार निराकरण किया जाये। समर्थन - उक्त प्रस्ताव का समर्थन ग्राम वनाधिकार समिति के सदस्यों द्वारा किया गया।	सर्व सम्मति से पारित किया गया।	[illegible]
2	श्री बसेतलाल गुप्ता उपाध्यक्ष				
3	श्री रंजीत सिंह सदस्य				
4	श्रीमती शकुन्तला "				
5	श्री नत्थू अहिरवार "				
6	श्री रामन सदस्य "				
7	मूरा सदस्य				
8	ददुदी सदस्य				
9	राजेश कुमार गुप्ता				

(हस्ताक्षर) [illegible]

खण्ड स्तरीय वन समिति, अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मझगांय बहुउद्देशीय परियोजनान्तर्गत अर्जित की जाने वाली ग्राम बनहरी कला के उजयारी/कल्ला एवं आशाराम तिलक रानी /कल्ला जिन्हे जिला स्तरीय वन समिति से वन भूमि के अधिकार पत्र जारी किए गऐ है। उनकी भूमि मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना अर्न्तगत आने से ग्राम पंचायत बनहरी कला की वन समिति द्वारा आज दिनांक 15.08.2015 तक वनाधिकार पत्रधारियों एवं अन्य किसी ग्रामीण द्वारा दावा आपत्ति नही प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। एवं इस समिति के पास भी कोई दावा आपत्ति लंबित नही है। तदुनसार उपखण्ड स्तरीय समिति ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त करती है।

अनुविभागीय अधिकारी
सिंहपुर बैराज उप संभाग क्र.02
अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

उप वन मण्डेलाधिकारी
अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
अजयगढ़ जिला पन्ना म.प्र.

बैठक कार्यवाही का प्रपत्र ...... वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत बनहरी कलाँ

तहसील ...... अजयगढ़ ...... जिला ...... पन्ना ...... बैठक दिनांक 15/8/2015

क्रमांक	उपस्थित पंचों, पदाधिकारियों तथा सरकारी प्रतिनिधियों के नाम	बैठक एवं प्रस्तुत संकल्प	बैठक की कार्यवाही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव/संकल्प जो पास हुए	उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)	श्री गजई गोंड़ अध्यक्ष आर्य ,, सदस्य हरदास ,, ,, हीरा अहिरवार ,, सौकी ,, ,, आनंदी ,, ,, अनारीलाल रैकवार ,, मगन गोंड़ ,, रामभान यादव ,, चन्द्रशेखर यादव सचिव	प्रस्ताव क्र. 7 मझगांय बांध अन्तर्गत आने वाले ग्रा. पंचायत बनहरी कलाँ के (वनाधिकार) पट्टे धारियों के दावा आपत्ति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव क्र. - आज दिनांक 15/8/2015 श्री गजई आदिवासी ग्राम वनाधिकार समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव रखा कि ग्रा. पंचा. बनहरी कलाँ के वनाधिकार पट्टाधारी जो मझगांय बांध अन्तर्गत आते हैं उनके द्वारा या अन्य किसी पट्टेधारियों द्वारा कोई भी दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुए यदि पेश किये जाते तो विभाग द्वारा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निराकरण किए जाते।	यह प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया। सत्यप्रति	

समर्थन - उक्त प्रस्ताव का समर्थन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना म0प्र0
वन टास्क फोर्स बैठक दिनांक 18.06.2015 का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर जिला पन्ना म.प्र. के आदेश क्र0/1099/2015 दिनांक 16.06.2015 द्वारा पन्ना जिले के लिये गठित वन टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर पन्ना की अध्यक्षता में दि. 18.06.15 को सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे –

1. श्री शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर पन्ना – अध्यक्ष
2. श्री संजय श्रीवास्तव, भा0व0से0, वनमंडलाधिकारी उत्तर वनमंडल पन्ना –सदस्य सचिव
3. श्री आर.सी. विश्वकर्मा, भा0व0से0, वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल पन्ना
4. श्री अनिल खरे, रा0प्रा0से0 अतिरिक्त कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना
5. श्री आर.डी. प्रजापति, रा0पु0से0 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पन्ना
6. श्री डी0के0 खरे, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना
7. श्री के.पी. दिनकर, जिला खनिज अधिकारी, पन्ना
8. श्री सादिक खांन, जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग, पन्ना
9. श्री डी.के. अनुरागी, उप प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

बैठक हेतु वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना के पत्र क्र0/2015/2734 दिनांक 15.06.15 द्वारा जारी एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1. वन सुरक्षा हेतु समन्वित कार्यवाही :–

वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना ने बताया कि उत्तर पन्ना वनमंडल के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों विशेषकर पन्ना में आस–पास के वनक्षेत्रों से अवैध रूप से काटी एंव लाई गई सागौन काष्ट की खपत होती है। इस कार्य में शहर के दो–तीन क्षेत्रों में सगठित तरीके से अवैध वनोपज की खपत का कार्य किया जाता है। उन्होने बताया कि वन विभाग द्वारा कार्यवाही करने हेतु विभाग के पास पर्याप्त संख्या में मैदानी अमला उपलब्ध है परन्तु ऐंसे क्षेत्रों में कार्यवाही करने पर अवैध कारोबारी एवं कतिपय असमाजिक तत्व संगठित होकर वन विभाग की कार्यवाही का विरोध करते हैं। पिछले अनुभव के आधार पर वन विभाग के अमले के साथ दुर्वव्यहार एवं पत्थरबाजी द्वारा शासकीय वाहनों की नुकसान पहुंचाने की घटनायें हुई हैं। अतः ऐंसी कार्यवाही के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति आवश्यक है, जिससे मौके पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रस्ताव से सहमत होकर कार्यवाही के दौरान पुलिस एवं जिला प्रशासन का सहयोग उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की गई।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक/वनमंडलाधिकारी)

2. वनभूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु समन्वित कार्यवाही :–

वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना ने बताया कि वर्षा के प्रारंभ होते ही वनक्षेत्रों के निकट के ग्रामीण संगठित होकर वनक्षेत्र में कृषि कार्य हेतु कटाई, सफाई, जुताई एवं बीज बोने का कार्य करते हैं जिसमें अधिकांशतः महिलायें सामने आती हैं। ऐंसी स्थिति में वन विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन की वनक्षेत्र को अतिक्रमण को रोकने के लिये समन्वित कार्यवाही आवश्यक है।

कलेक्टर पन्ना द्वारा सहमत होकर वन विभाग के द्वारा सहायता मांगे जाने पर समन्वित कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही– वनमंडलाधिकारी उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल पन्ना)

3. वन्यप्राणी सुरक्षा :–

वनमंडलाधिकारी उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल पन्ना द्वारा बताया गया कि पन्ना जिले में प्रचुर संख्या में शेर एवं अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। कई बार वनक्षेत्र से बाहर आने पर वन्यप्राणी एवं जनता के बीच में टकराव की स्थिति निर्मित होती है। जिसके लिये वन विभाग द्वारा पशुहानि, जन घायल/हानि के प्रकरणों में मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार फसलों के नुकसान होने की स्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा मुआवजा स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अतः ऐंसे टकराव की स्थिति में समस्त सक्षम स्तर से तत्काल मुआवजे की स्वीकृति होनी चाहिये। जिस पर पन्ना कलेक्टर द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इसी प्रकार वन्यप्राणियों के शिकार में कुछ स्थानीय एवं कुछ आद्यतन जातियां जैंसे बहेलिया, पारिधी इत्यादि की उपस्थिति मात्र ही वन्यप्राणियों के सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील विषय हो जाता है। अतः ऐंसी घुमक्कड़ जातियों के वनक्षेत्र के निकट उपस्थिति वन्यप्राणी सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक होती है। अतः जानकारी प्राप्त होते ही उन्हे तत्काल "बाहर खदेड़ा जाना आवश्यक होता है। कभी कभार विशेष परिस्थिति बनने पर ऐंसी कार्यवाही में पुलिस एवं जिला प्रशासन की आवश्यकता होती है जिसके लिये कलेक्टर द्वारा बताया गया कि नियम/प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही– वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण वनमंडल पन्ना/उप संचालक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान)

4. जिले में खदानों की स्वीकृति हेतु शासन के निर्देशों का पालन :–

वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वनक्षेत्रों के निकट उत्तर पन्ना वनमंडल में 19 खदानें राजस्व खसरों में स्वीकृत हैं। ऐंसी स्वीकृत अधिकांश खदानें उन्हे आवंटित लीज क्षेत्र के बाहर एवं वनक्षेत्र में होने की आशंका है। ऐंसी खदानों की स्वीकृति/नवीनीकरण/संचालन में म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। कलेक्टर पन्ना द्वारा इस पर जिला खनिज अधिकारी से जानकारी चाही गई। उन्होने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन समान्यतः हो रहा है। इस पर वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा प्रमुख सचिव वन/खनिज साधन/राजस्व विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्र0/147/99/10–3 दिनांक 12.01.2000 एवं खनिज साधन विभाग के पत्र क्र0/4–65/12/1 दिनांक 19.01.2002 की प्रति समिति के अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई। कलेक्टर पन्ना ने उक्त परिपत्रों से सहमति व्यक्त करते हुये उसमें दिये गये निम्नानुसार निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये –

4.1 प्रत्येक खदान स्वीकृति/नवीनीकरण के पूर्व वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे यदि नियमों में प्रावधान हो तो।

(कार्यवाही– जिला खनिज अधिकारी पन्ना)

4.2 स्वीकृत होने वाली नई खदानों/स्वीकृत खदानों का सीमांकन जिला खनिज अधिकारी एवं संबंधित उप वनमंडलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा जहां वनसीमा लगी हो। वे स्वीकृत खदान क्षेत्र के अक्षांश एवं देशांश को भी सीमांकन प्रतिवेदन अंकित करेंगे। कलेक्टर पन्ना

कलेक्टर पन्ना द्वारा सहमत होकर वन विभाग के द्वारा सहायता मांगे जाने पर समन्वित कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही– वनमंडलाधिकारी उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल पन्ना)

3. वन्यप्राणी सुरक्षा :–

वनमंडलाधिकारी उत्तर एवं दक्षिण वनमंडल पन्ना द्वारा बताया गया कि पन्ना जिले में प्रचुर संख्या में शेर एवं अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। कई बार वनक्षेत्र से बाहर आने पर वन्यप्राणी एवं जनता के बीच में टकराव की स्थिति निर्मित होती है। जिसके लिये वन विभाग द्वारा पशुहानि, जन घायल/हानि के प्रकरणों में मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार फसलों के नुकसान होने की स्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा मुआवजा स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अतः ऐंसे टकराव की स्थिति में समस्त सक्षम स्तर से तत्काल मुआवजे की स्वीकृति होनी चाहिये। जिस पर पन्ना कलेक्टर द्वारा सहमति व्यक्त की गई। इसी प्रकार वन्यप्राणियों के शिकार में कुछ स्थानीय एवं कुछ आद्यतन जातियां जैंसे बहेलिया, पारिधी इत्यादि की उपस्थिति मात्र ही वन्यप्राणियों के सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील विषय हो जाता है। अतः ऐंसी घुमक्कड़ जातियों के वनक्षेत्र के निकट उपस्थिति वन्यप्राणी सुरक्षा की दृष्टि से हानिकारक होती है। अतः जानकारी प्राप्त होते ही उन्हे तत्काल "बाहर खदेड़ा जाना आवश्यक होता है। कभी कभार विशेष परिस्थिति बनने पर ऐंसी कार्यवाही में पुलिस एवं जिला प्रशासन की आवश्यकता होती है जिसके लिये कलेक्टर द्वारा बताया गया कि नियम/प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही– वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण वनमंडल पन्ना/उप संचालक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान)

4. जिले में खदानों की स्वीकृति हेतु शासन के निर्देशों का पालन :–

वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वनक्षेत्रों के निकट उत्तर पन्ना वनमंडल में 19 खदानें राजस्व खसरों में स्वीकृत हैं। ऐंसी स्वीकृत अधिकांश खदानें उन्हे आवंटित लीज क्षेत्र के बाहर एवं वनक्षेत्र में होने की आशंका है। ऐंसी खदानों की स्वीकृति/नवीनीकरण/संचालन में म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। कलेक्टर पन्ना द्वारा इस पर जिला खनिज अधिकारी से जानकारी चाही गई। उन्होने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन समान्यतः हो रहा है। इस पर वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा प्रमुख सचिव वन/खनिज साधन/राजस्व विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्र0/147/99/10–3 दिनांक 12.01.2000 एवं खनिज साधन विभाग के पत्र क्र0/4–65/12/1 दिनांक 19.01.2002 की प्रति समिति के अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई। कलेक्टर पन्ना ने उक्त परिपत्रों से सहमति व्यक्त करते हुये उसमें दिये गये निम्नानुसार निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये –

4.1 प्रत्येक खदान स्वीकृति/नवीनीकरण के पूर्व वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे यदि नियमों में प्रावधान हो तो।

(कार्यवाही– जिला खनिज अधिकारी पन्ना)

4.2 स्वीकृत होने वाली नई खदानों/स्वीकृत खदानों का सीमांकन जिला खनिज अधिकारी एवं संबंधित उप वनमंडलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा जहां वनसीमा लगी हो। वे स्वीकृत खदान क्षेत्र के अक्षांश एवं देशांश को भी सीमांकन प्रतिवेदन अंकित करेंगे। कलेक्टर पन्ना

द्वारा इस हेतु अधिक परिशुद्धता वाले सीमांकन एवं जी.पी.एस. यंत्रों का उपयोग करने का निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही– वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण एवं जिला खनिज अधिकारी पन्ना)

4.3 खदान की सीमा पर शासन के पत्र दिनांक 29.01.2002 के अनुसार संबंधित लीजधारी के व्यय पर निर्धारित आकार के मुनारे बनाये जावें एवं उन पर क्रमवार नम्बर डाले जावें।

(कार्यवाही– वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण एवं जिला खनिज अधिकारी पन्ना)

4.4 प्रत्येक माह जिला खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, उप वनमंडलाधिकारी एवं परिक्षेत्राधिकारी द्वारा स्वीकृत खदानों का संयुक्त निरीक्षण किया जाकर यह प्रमाण पत्र दिया जावेगा कि स्वीकृत खदान क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन तो नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त संयुक्त दल द्वारा लीज शर्तों के पालन की स्थिति देखी जावेगी।

(कार्यवाही– वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण एवं जिला खनिज अधिकारी पन्ना)

4.5 खदान की लीज में यह स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा कि स्वीकृत क्षेत्र के आस–पास के वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा। यदि आस–पास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी व वनमंडलाधिकारी को तत्काल लिखित में दी जावेगी नियम/प्रावधान के अनुसार हो तो।

(कार्यवाही– वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण एवं जिला खनिज अधिकारी पन्ना)

वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम मांझा (पन्ना) के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त खदान लीजधारियों द्वारा लीज शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है एवं तीन में से एक खदान का संयुक्त सीमांकन शेष है। कलेक्टर पन्ना ने जिला खनिज अधिकारी को अधीनस्थ अमले सहित वन विभाग के अमले के साथ संयुक्त निरीक्षण का प्रतिवेदन चार दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

(कार्यवाही– जिला खनिज अधिकारी पन्ना)

<u>5.जल संसाधन संभाग पन्ना द्वारा सिंचाई परियोजनाओं में प्रयुक्त की जा रही भूमि का स्वामित्व निर्धारण एवं निराकरण :–</u>

प्रकरण का परीक्षण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया गया है। वन विभाग का पक्ष सुनकर, प्रकरण का निराकरण करें।

6. <u>वन अधिकार अधिनियम में प्राप्त दावा पत्रों का निराकरणः–</u>

मौके पर सुनवाई कर निराकरण किया जायेगा।

(कार्यवाही–जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग, पन्ना)

7. <u>प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को वन मार्ग उन्नयन की स्वीकृति :–</u>

उप प्रबंधक प्रधानमंत्री सड़क योजना अधिकारी द्वारा अजयगढ़–चन्दला मार्ग से जैतूपुर मार्ग में प्रभावित होने वाली वनक्षेत्र की अनुमति बावत अनुरोध किया गया जिसमें वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना द्वारा अवगत कराया गया कि 1980 के पूर्व के मार्ग में विद्यमान चौड़ाई में मार्ग उन्नयन

की अनुमति दिये जाने हेतु वनमंडलाधिकारियों को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं जिस हेतु प्रस्तावित मार्ग की विद्यमान चौड़ाई का संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र अनुमति प्रदान की जावे।

(कार्यवाही—प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं वनमंडलाधिकारी)

8. मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि का वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत विनिश्चियन कार्यवाही पूर्ण होने का प्रमाण पत्र :—

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना द्वारा अवगत कराया गया कि मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि 427.00 हे0 का वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत विनिश्चियन कार्यवाही पूर्ण होने का पूर्व में 404.00 हे0 का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। किन्तु योजना में कुल 427.00 हे0 भूमि प्रभावित हो रही है। अतः वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जिसपर कलेक्टर महोदय द्वारा परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही— जल संसाधन संभाग पन्ना)

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)

पृ0क्र0/सामान्य/1346/उ.व.म./वनटास्कफोर्स/2015
पन्ना, दिनांक 6.7.2015

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव वन म0प्र0 शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव खनिज विभाग म0प्र0 शासन भोपाल
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर म0प्र0।
4. वनमंडलाधिकारी उत्तर/दक्षिण वनमंडल पन्ना म0प्र0
5. उप संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना म0प्र0
6. उप संचालक खनिज जिला पन्ना म0प्र0
7. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग पन्ना

कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)

परि.क्र. 2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मझगॉय मध्यम सिचाई परियोजना के अन्तर्गत चार ग्राम बनहरी कला, कुवंरपुर, हनुमतपुर, टैरिया एवं मझगॉय आशिंक रुप से डूब मे है ।
इन ग्रामो के डूब क्षेत्र मे कोई भी राजस्व वन भूमि प्रभावित नही है ।

3/7/14

तहसीलदार
तहसील अजयगढ
जिला पन्ना म.प्र.

विज्ञ क्र. 7

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना जिला पन्ना (म.प्र.)

वचन-पत्र

प्रमाणित किया ज्ञाता है कि जल संसाधन संभाग पन्ना जिला पन्ना, मझगांय बहुउद्देशीय मध्यम. सिंचाई परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जावेगा। इस हेतु जल संसाधन विभाग वचनबद्ध है।

अनुविभागीय अधिकारी
सिंहपुर बैराज, उप संभाग
क्रमांक-2 अजयगढ़
जिला पन्ना (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना (म.प्र.)

विद्-8

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना जिला पन्ना (म.प्र.)

वचन-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल संसाधन संभाग पन्ना जिला पन्ना, मझगांय बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि जमा की जावेगी तथा भविष्य में शासन द्वारा जो भी नेट प्रजेन्ट वैल्यू आंकी जावेगी उस राशि का भुगतान करने हेतु जल संसाधन विभाग वचनबद्ध है।

अनुविभागीय अधिकारी
सिंहपुर बैराज, उप संभाग
क्रमांक-2 अजयगढ़
जिला पन्ना (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना (म.प्र.)

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि रकवा 426.763 हे0 जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के वफर जोन के अन्तर्गत कक्ष क्रमांक पी–182 का प्रभावित क्षेत्रफल 42.831 हे0 है। स्थल का निरीक्षण दिनांक 17.09.2015 को मेरे द्वारा किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र के वनक्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.4 तक रिक्त एवं मिश्रित वन है। जिसमें आंशिक भाग में अतिक्रमण है। यह कक्ष पुर्नस्थापना कार्य वृत्त के अन्तर्गत कार्ययोजना में रखा गया है।

प्रस्तावित वनक्षेत्र में शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्यप्राणियों में मुख्यतः चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, सियार आदि वन्यप्राणियों कभी–कभी देखे जाते हैं। परियोजना में यद्यपि कोई वनक्षेत्र एकांकी रूप से अलग नहीं होता तथा इन वनक्षेत्रों से लगे हुए वनक्षेत्र भी इसी स्थल गुणवत्ता, घनत्व व समान सस्य के होने से वन्यप्राणियों पर प्रत्यक्षतः कोई प्रतिकूल प्रभाव संभावित नहीं है। पानी को परियोजना हेतु रोके जाने से भू–अर्द्धता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त वन्यप्राणियों को वर्ष भर पेयजल की उपलब्धता बनी रहेगी। परियोजना स्वीकृति की अनुंशसा की जाती है।

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

Vikas_D:\DM Sec. 12.10.2012\2015\DD Prativadan_Ken Betwa_1.10.docx

संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के एलाइमेंट एवं डिमारकेशन का संयुक्त निरीक्षण श्री एस0के0 सिंह अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग पन्ना एवं श्री के0बी0 गुप्ता, सहायक संचालक मड़ला द्वारा दिनांक 18.09.2015 को किया गया तथा पाया कि उक्त परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व वफर जोन के परिक्षेत्र पन्ना वफर अन्तर्गत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

अनु0 क्र0	रेंज का नाम	वनखण्ड का नाम	वन का प्रकार आरक्षित / संरक्षित	कक्ष क्रमांक	प्रभावित वनक्षेत्र हे0 में	प्रभावित वृक्षों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पन्ना वफर	बडी बनहरी	संरक्षित	पी 182	42.831	निल	निल

संरक्षित क्षेत्र	–	42.831
आरक्षित क्षेत्र	–	निल
कुल आवेदित क्षेत्र	–	42.831

1. प्रभावित वनक्षेत्र में अंश भाग पर अतिक्रमण हैं। जिसका अंश भाग पर घनत्व 0.4 से कम है।
2. प्रस्तावित परियोजना हेतु आवेदित वनक्षेत्र का कोई विकल्प नहीं है।
3. उपरोक्त परियोजना जो कि वनक्षेत्र में कम से कम प्रभावित होती है।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना (म0प्र0)

Vikas_D:\DM Sec. 1?.10.2012\2015\Ken Betwa Inspection_15.9.15.docx

प्रोजेक्ट रिपोर्ट (कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना द्वारा)

1. प्रोजेक्ट का नाम – मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु बांध के निर्माण हेतु वन भूमि की मांग।
2. आवेदक विभाग का नाम – म0प्र0 शासन, जल संसाधन संभाग पन्ना।
3. कुल आवेदित वन भूमि – उत्तर वन मण्डल पन्ना।

वन भूमि का डूब क्षेत्र	कुल डूब क्षेत्र
427 हे0	427 हे0

पन्ना जिले की सिंचाई समस्या को दूर करने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल द्वारा वित्तीय सहायता से मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। जल संसाधन के अधिकारियों द्वारा एलाइमेन्ट से वन क्षेत्र कम से कम प्रभावित हो, इस उद्देश्य से वन मण्डल पन्ना से मार्ग दर्शन दिया गया। बांध का डूब क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया गया कि इसमें कम से क .वन क्षेत्र प्रभावित हो एवं वन संपदा का नुकसान भी कम हो, प्रस्तुत एलाइमेन्ट में निम्न वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

वन भूमि का डूब क्षेत्र	कुल डूब क्षेत्र
427 हे0	427 हे0

1. प्रभावित वन क्षेत्र में डूब क्षेत्र न्यूनतम एवं अनिवार्य है। जिसका अन्य कोई विकल्प नहीं है।
2. प्रभावित वृक्षों में कोई भी वृक्ष विशेष प्रजाति, इमारती इत्यादि के न होकर सतकठा प्रजाति के है।
3. प्रभावित वन क्षेत्र में भू–क्षरण इत्यादि नहीं है।
4. शासन के स्वीकृति के पूर्व प्रभावित वन क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/वन जीव अभ्यारण/जैव मण्डल रिजर्व/बाघ रिजर्व/हांथी कारीडोर का क्षेत्र शामिल नहीं था।
5. आवेदित वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।
6. आवेदित क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान एवं ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र शामिल नहीं है।
7. आवेदित क्षेत्र में मिश्रित वन क्षेत्र में कृषकों के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है इसलिये घनत्व शून्य है।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना (म0प्र0)

विन्द 2

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
:: मंत्रालय ::
वल्लभ भवन भोपाल

कमांक–35(बी)/2/2009/म./31 /716 भोपाल, दिनांक 6/11/2012

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

विषयः–पन्ना जिले की मझगॉव मध्यम् बहुउद्देशीय परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति ।

000

पन्ना जिले की तहसील एवं विकासखण्ड अजयगढ़ की मझगॉव मध्यम् बहुउद्देशीय परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति का ₹358.99 करोड़ का प्रस्ताव प्रगति समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.08.2012 में रखा गया । प्रगति समीक्षा समिति की अनुशंसा उपरान्त प्रस्ताव मंत्रि–परिषद की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया । मंत्रि–परिषद ने दिनांक 06.11.2012 को मझगॉव मध्यम् बहुउद्देशीय परियोजना के प्रस्ताव पर प्रगति समीक्षा समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुये परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की स्वीकृति ₹358.99 करोड़ (तीन सौ अठ्ठानवे करोड़ निन्यानवे लाख) देने और एन.टी.पी.सी. द्वारा परियोजना के शीर्ष कार्य की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की शर्त पर एन.टी.पी.सी. को 40 मि.घ.मी. जल दिये जाने का निर्णय लिया है ।

2. तदानुसार राज्य शासन मझगॉव मध्यम् बहुउद्देशीय परियोजना की ₹358.99 करोड़ (तीन सौ अठ्ठानवे करोड़ निन्यानवे लाख) प्रशासकीय एवं निवेश निकासी (यूसीएसआर–2009) की स्वीकृति प्रदान करता है। एन.टी.पी.सी. द्वारा परियोजना के शीर्ष कार्य की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की शर्त पर एन.टी.पी.सी. को 40 मि.घ.मी. जल दिये जाने की सहमति प्रदान करता है।

3. परियोजना की स्वीकृति मांग संख्यॉ 41 लेखा शीर्ष 4701 वृहद मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत की जा रही है ।

4. परियोजना से 12600 हे. (रबी 9900 हे. एवं खरीफ 2700 हे.) में वार्षिक सिंचाई उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

5. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2006 के नीचे दिये गये नोट 3 (बी) एवं 3 (सी) के अनुसार परियोजना की तकनीकी स्वीकृति अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं की पूर्ति की जाए तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र की सूचना शासन को दी जाये ।

6. यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना उक्त स्वीकृत राशि में पूर्ण की जाए ।

7. वित्त विभाग के पत्र कमांक 633/आर/812/चार/ब–1/07 दिनांक 3/08/07 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त प्रस्ताव पर प्रगति समीक्षा समिति का अनुमोदन दिनांक 30.08.2012 को प्राप्त किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार ।

06.11.12

(अश्विनी कुमार उपमन्यु)
अवर सचिव,
म.प्र. शासन, जल ससाधन विभाग

5770
1/12/12

D:\MEDIUM SECTION\MEDIUM-2012\MEDIUM-2012.doc/RAUT

पृ. कमांक–35(बी)/2/2009/म./31 |1717 भोपाल, दिनांक6/11/2012

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/ कृषि विभाग मंत्रालय, ।
2. आयुक्त सागर, संभाग सागर।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, बोधी, भोपाल।
5. मुख्य अभियता, धसान केन कछार, जल संसाधन विभाग, सागर ।
6. कलेक्टर, जिला–पन्ना ।
7. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल, छतरपुर।
8. निज सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय भोपाल
9. निज सचिव, मान. मंत्री जी जल संसाधन विभाग मत्रालय भोपाल
10. अवर सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग (बजट) मंत्रालय, भोपाल
11. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।
12. कार्यपालन यंत्री, डाटा सेन्टर, स्वारडेक भवन, कोलार रोड, भोपाल, की ओर विभागीय बेवसाईट पर दर्ज करने हेतु प्रेषित।
13. संयुक्त संचालक जन संपर्क विभाग भोपाल, निवेदन है कि शासन द्वारा जारी की गई स्वीकृति के विषयक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ।

6.11.12

अवर सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

D:\MEDIUM SECTION\MEDIUM-2012\MEDIUM-2012.doc/RAUT

79

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के तीन वैकल्पिक परीक्षणों का तुलनात्मक विवरण

विकल्प क्र.	डूब क्षेत्र	जल भराव	वन भूमि	सिंचाई	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	1000 हे0	1000 मि.घ.मी.	416 हे0	5000 हे0	मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में 12600 हे0 भूमि सिंचित होना है एवं एन.टी.पी.सी. को 40 मि.घ.मी. पानी दिया जाना प्रावधानित है। पहले विकल्प में वन भूमि लगभग 10 हे0 कम है परन्तु परियोजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए कि इसमें जल भराव 20 मि.घ.मी. कम हो जाता है,
2	1200 हे0	105 मि.घ.मी.	421 हे0	6000 हे0	इसमें लगभग 5 हे0 वन भूमि कम होती है जिससे पानी का भराव 7 मि.घ.मी. कम होता है।
3	1484 हे0	112 मि.घ.मी.	426.763	8370 हे0	इससे परियोजना की पूरी प्रावधानों जैसे की सिंचाई एवं एन.टी.पी.सी. को पानी देना आदि की पूर्ति होती है।

नोट :– विकल्प क्र–3 में वन भूमि अधिक है परन्तु परियोजना के उद्देश्य इस विकल्प से पूर्ण होते है अतः विकल्प क्र–3 का चयन किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी
सिंहपुर बैराज उप संभाग
क्रमांक–2 अजयगढ़
जिला पन्ना (म0प्र0)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
पन्ना (म0प्र0)

चिन्हु क्र. – 05

वि-दु क्रं - (6)

Component wise Breakup

S.No.	Component	Forest land (Ha.)	Non forest land (Ha.)
1	2	3	4
1	Dam	35.00	42.00
2	Submergence	391.763	1020.627
	Total	**426.763**	**1062.627**

(Vimal Shrivastava)
Sub Divisional Officer
Singhpur Barrage Sub Division No. 2
Ajaygarh Distt. Panna (M.P.)

(B.L. Dadoria)
Executive Engineer
Water Resources Division Panna
Distt. Panna (M.P.)

कार्यालय–कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

E-Mail :- Waterpanna2@gmail.com, Phone & Fax :- (07732) 252075

पत्र क्र0 3036 /टी0एस0/2016 पन्ना दिनांकः– 26/12/16

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
उत्तर वन मण्डल पन्ना
जिला पन्ना (म0प्र0)

विषय :– मझगांय मध्यम सिचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि कक्ष क्र0 पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0 1513/08 दिनांक 09.07.2015 .

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0/मा0चि0/2016/3550 पन्ना दिनांक 26.08.2016

––––000––––

उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित पत्र के अनुसार मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित वन भूमि कक्ष कक्ष क्र0 पी–188 में बिना पूर्व स्वीकृति के कार्य किये जाने पर दर्ज वन अपराध प्रकरण क्र0 1513/08 दिनांक 09.07.2015 के संबंध में भारतीय वन अधिनियम/1927 की धारा 82 के अनुसार क्षति हुयी वन भूमि के मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। वन अधिनियम 1927 की धारा 97 के तहत प्रतिकर राशि रूपये 10000.00/– (रू0 दस हजार) ड्राफ्ट क्र0 933603 दिनांक 22.11.2016 द्वारा वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मण्डल पन्ना के पक्ष में जमा की जा रही है।

अतः उपरोक्त वन अपराध प्रकरण का निराकरण करने हेतु अनुरोध है।

संलग्न :– ड्राफ्ट क्र0 933603
दिनांक 22.11.2016
राशि रू0 10,000.00 मात्र

(बी0एल0 दादौरिया)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना (म0प्र0)

पत्र क्र0 /टी0एस0/2016 पन्ना दिनांकः–

प्रतिलिपि :–
1. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. उप वन मण्डलाधिकारी, विश्रामगंज की ओर सूचनार्थ एवं उत्खनित वन क्षेत्र मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही की पुष्टि कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

(बी0एल0 दादौरिया)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना (म0प्र0)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

क्रम सं. Sr. No.

Keyno = IYL 156041

22112016
D D M M Y Y Y Y

मांगने पर अदा करें ON DEMAND PAY D.F.O. NORTH PANNA को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES TEN THOUSAND RS. ONLY

प्राप्त मूल्य के लिए FOR VALUE RECEIVED ₹ 10000/-

BC. No. 31933603

प्रति To यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India PANNA

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया For Union Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatories

Please sign above

PAYABLE AT PAR AT ALL OUR BRANCHES IN INDIA.

EM/PD/U

जारी करने की तारीख से तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

MANIPAL TECHNOLOGIES LTD., MANIPAL / CTS - 2010

दक TC | एक OC | दला TL | एला OL | दह TT | एह OT | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

⑈933603⑈ 000026000⑆ 000031⑈ 16

01-2015

विन्दु क्र० 4

CERTIFICATE

This is certify that no R and R issue is involved in Majhagaon Medium irrigation project hence no provision is required on this account

Executive Engineer
Water Resources Division
Panna (M.P.)

Chief Engineer
Dhasan ken basin Sagar
(M.P.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

E-mail I.D. No. waterpanna@gmail.com, waterpanna2 @gmail.com Phone No. 07732-252075

-: वचन पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि, जल संसाधन संभाग पन्ना जिला पन्ना मंझगांय बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना मे वन्यप्राणी से अभिमत चाहा गया था। इस हेतु प्रस्ताव वन्यप्राणी कार्यालय मे ऑन किये जाते है के उपरांत हार्ड कॉपी 06 प्रतियों मे भेजा गया है। वन्यप्राणी कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वन प्रकरण स्वीकृति के पूर्व प्रथक से प्रेषित कर दिया जायेगा।

दिनांक ....

बी0एल0 दादौरिया
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना म0प्र0

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना (म0प्र0)

E-mail I.D. No. waterpanna@gmail.com, waterpanna2 @gmail.com Phone No. 07732-252075

–: वचन पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि, जल संसाधन संभाग पन्ना जिला पन्ना मंझगांय बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना मे वनभूमि से संबंधित कोई भी प्रकरण न्यायालय मे नही चल रहा है और ना ही कोई प्रकरण लंबित है।

दिनांक 28/02/2017

(बी0एल0 दादौरिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग पन्ना
जिला पन्ना म0प्र0